न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 564 / 09

GCMS Id : 2009 / 00003

लटूरलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति राठौर, निवासी कैथून, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र कन्हैयालाल
2. बसन्ती बाई पत्नी लक्ष्मीचन्द
3. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
4. गुलाबचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
   निवासीगण पुराने बस स्टेण्ड के सामने, कैथून, जिला कोटा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज०टी०ए०
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री बृजनारायण शर्मा, वादी अभिभाषक
श्री तेजमल जैन, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 10.10.2022

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 2.39 हैक्टर वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। वादी के पडोस में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 666 स्थित है।

~ वादी की भूमि पर 25 वर्षो से तारबन्दी हो रही है अर्थात वादी और प्रतिवादी की भूमि के मध्य स्थित मेड पर कांटेदार तारों की बाउण्ड्री हो रही है।

~ दिनांक 26.02.2009 को प्रतिवादीगण वादी के खेत की उक्त तारबन्दी को हटाने लग गये, जिसके बारे में मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। तब वादी के शोर मचाने पर आस पडोस के काश्तकारों द्वारा समझाने पर वहॉ से गये किन्तु जाते जाते धमकी दे गये कि वे 1--2 दिन में वादी के खेत की तारबन्दी को हटाकर भूमि पर कब्जा करेगें और मेढ को हटा देगें।

~ ऐसा हुआ तो, प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने में सफल हो जायेगें जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

~ वादी को अधिकार है कि वह अपने खाते की आराजी की सुरक्षार्थ बनी मेढ की तारबन्दी तो तोडने से रोकने के लिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

~ प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर बनी मेढ की तारबन्दी को तोडने का प्रयास करने व समझाइस के बाद भी धमकी देने पर आज दिनांक 26.02.2009 को माननीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

~ अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थाथी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 2.39 हैक्टर की मेढ पर बनी तारबन्दी को नहीं तोडे, न मेढ हटावे, न ही किसी तरह का अतिक्रमण कर वादी के खेत में खडी फसल को क्षति पहुंचाये। ऐसा कृत्य न स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 418, 667, 669, 670, 671, 851 कुल किता 6 रकबा 8.05 हैक्टर से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064

प्रदर्श–2 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2061–2064

3- प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की ओर से पेश जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –

≈ विवादित मेढ प्रतिवादीगण के खातेदारी की है तथा प्रतिवादीगण की बनाई हुई है।

≈ प्रतिवादीगण के खेत के उत्तर में पहले खाल था तथा जिसमें पानी लेने के लिये धोरा व चोडी मेढ भी उसी समय बनाई गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने खेत में ही टयूबवेल लगवा लेने से अब धोरा समाप्त कर दिया है।

≈ प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से खरीदा था।प्रतिवादीगण के खरीदने के बाद करीब 4–5 महीने पहले ही वादी ने मेढ पर तारबन्दी की है।

≈ विवाद की स्थिति पैदा होने पर प्रतिवादीगण ने वादी से अपने खेतों को नपवाने को कहा तो सहमति देने के बाद इन्कार करके यह दावा पेश कर दिया तथा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी।

≈ वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

≈ विशेष आपत्तियों मय काउण्टर क्लेम में निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य की मेढ प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 666 पर बनी है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से वादी द्वारा की गई अनाधिकृत तारबन्दी को हटवाये।

≈ विवाद का अन्तिम निपटारा करने के लिये दोनों पक्षों के खेतों की पैमाईश करवा दी जावे ताकि स्थिति स्पष्ट हो जावे।

≈ अतः जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा निरस्त फरमाया जाकर तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित खेतों का नाप करवाकर वादी द्वारा की गई अनाधिकृत तारबन्दी को हटावावें।

4- वादी की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि –

~ विवादित मेढ प्रतिवादीगण की होना अथवा उनके द्वारा बनाई होना सर्वथा असत्य है।

~ वादी का खेत प्रतिवादीगण के खेत से नीचे होने के कारण बरसाती पानी के बहाव को रोकने के लिये वादी ने यह मेढ वर्षो पूर्व बनाई थी तथा इसकी सुरक्षा हेतु चारों तरफ बाड लगा रखी थी। 4–5 माह पूर्व तारबन्दी करने की बात गलत है।

~ प्रतिवादीगण ने कभी भी खेत को नपवाने की बात नहीं कही है वरन् प्रतिवादीगण द्वारा मेढ को हटाने का प्रयास करने के कारण लडाई झगडा हुआ था।

~ प्रतिवादीगण अपने खाते की पूर्ण भूमि पर काबिज है तथा विवादित मेढ वादी के खाते की जमीन पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को मेण्डेटरी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

~ मृदा अपरदन को रोकने के लिये वादी द्वारा सुरक्षार्थ बनाई गई मेढ व तारबन्दी से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि इससे तो खुद प्रतिवादीगण के खेत की फसल की सुरक्षा होती रही है।

~ प्रतिवादीगण ने 4–5 माह पूर्व ही खसरा नम्बर 666 की भूमि मोहनलाल से खरीदी है और तब से ही वे उक्त मेढ की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।

~ अतः जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

5- वादपत्र व जवाब काउण्टर क्लेम तथा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के विवादित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(1) आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 667 वादी के खाते दर्ज है जिस पर वादी काबिज काश्त है। – (वादी)

(2) आया वादी के पडो में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 666 स्थित है। खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य कांटेदार तारों की 25 वर्ष पूर्व से बाउण्ड्री हो रही है। – (वादी)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 418, 667, 669, 670, 671, 861 कुल किता 6 रकबा 8.05 हैक्टर से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064

प्रदर्श–2 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2061–2064

3- प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 की ओर से पेश जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –

- विवादित मेढ प्रतिवादीगण के खातेदारी की है तथा प्रतिवादीगण की बनाई हुई है।
- प्रतिवादीगण के खेत के उत्तर में पहले खाल था तथा जिसमें पानी लेने के लिये धोरा व चोडी मेढ भी उसी समय बनाई गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने खेत में ही ट्यूबवेल लगवा लेने से अब धोरा समाप्त कर दिया है।
- प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से खरीदा था।प्रतिवादीगण के खरीदने के बाद करीब 4–5 महीने पहले ही वादी ने मेढ पर तारबन्दी की है।
- विवाद की स्थिति पैदा होने पर प्रतिवादीगण ने वादी से अपने खेतों को नपवाने को कहा तो सहमति देने के बाद इन्कार करके यह दावा पेश कर दिया तथा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी।
- वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।
- विशेष आपत्तियों मय काउण्टर क्लेम में निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य की मेढ प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 666 पर बनी है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से वादी द्वारा की गई अनाधिकृत तारबन्दी को हटवाये।
- विवाद का अन्तिम निपटारा करने के लिये दोनों पक्षों के खेतों की पैमाईश करवा दी जावे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
- अतः जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा निरस्त फरमाया जाकर तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित खेतों का नाप करवाकर वादी द्वारा की गई अनाधिकृत तारबन्दी को हटवावें।

4- वादी की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि –

- विवादित मेढ प्रतिवादीगण की होना अथवा उनके द्वारा बनाई होना सर्वथा असत्य है।
- वादी का खेत प्रतिवादीगण के खेत से नीचे होने के कारण बरसाती पानी के बहाव को रोकने के लिये वादी ने यह मेढ वर्षों पूर्व बनाई थी तथा इसकी सुरक्षा हेतु चारों तरफ बाड लगा रखी थी। 4–5 माह पूर्व तारबन्दी करने की बात गलत है।
- प्रतिवादीगण ने कभी भी खेत को नपवाने की बात नहीं कही है वरन् प्रतिवादीगण द्वारा मेढ को हटाने का प्रयास करने के कारण लडाई झगडा हुआ था।
- प्रतिवादीगण अपने खाते की पूर्ण भूमि पर काबिज है तथा विवादित मेढ वादी के खाते की जमीन पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को मेण्डेटरी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- मृदा अपरदन को रोकने के लिये वादी द्वारा सुरक्षार्थ बनाई गई मेढ व तारबन्दी से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि इससे तो खुद प्रतिवादीगण के खेत की फसल की सुरक्षा होती रही है।
- प्रतिवादीगण ने 4–5 माह पूर्व ही खसरा नम्बर 666 की भूमि मोहनलाल से खरीदी है और तब से ही वे उक्त मेढ की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
- अतः जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

5- वादपत्र व जवाब काउण्टर क्लेम तथा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के विवादित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(1) आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 667 वादी के खाते दर्ज है जिस पर वादी काबिज काश्त है। – (वादी)

(2) आया वादी के पक्षे में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 666 स्थित है। खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य कांटेदार तारों की 25 वर्ष पूर्व से बाउण्ड्री हो रही है। – (वादी)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(3) आया प्रतिवादीगण द्वारा 666 व 667 के मध्य स्थित पुरानी तारबन्दी हटाने की कोशिश की जो गैरकानूनी है।

(4) आया वादी, प्रतिवादीगण को उपरोक्त तारबन्दी को न तोडने, मेड न हटाने, न किसी तरह का अतिक्रमण कर खेत में प्रवेश करने बाबत निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। – (वादी)

(5) आया विवादित मेढ प्रतिवादीगण के खाते की है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ही बनाई गई है। – (प्रतिवादी)

(6) आया प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से क्रय किया है। – (प्रतिवादी)

(7) आया विवादग्रस्त आराजी की पैमाईश दोनों पक्षों के समक्ष करवाने से विवाद का समाधान हो सकता है। – (प्रतिवादी)

(8) अनुतोष ?

6- दौराने वाद प्रकरण के विधिसंगत निस्तारण हेतु विवादित आराजी के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार से उभयपक्ष की आराजी की पैमाईश रिपोर्ट चाही गई। उक्त पैमाईस रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि –

- खसरा संख्या 666 की पश्चिमी एवं 667 की पूर्वी मेड उत्तर से दक्षिण का निर्धारण किया गया। फीता लेकर नाप करने पर उक्त मेड का दक्षिणी बिन्दु मुताबिक नक्शा मौका सही पाया गया, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुये।
- उक्त मेड का उत्तरी बिन्दु खसरा नम्बर 667 के खातेदार लटूरलाल वल्द जगन्नाथ के कब्जे में लगभग 3 मीटर अधिक कब्जे में होना पाई गई है, जिस पर वादी लटूरलाल द्वारा सीमेन्ट के खम्बे गाडकर तार की फेन्सिंग कर रखी है।
- मौके पर उक्त तार की फेन्सिंग खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य मेढ के मध्य में होना पाया गया है जो मुताबिक नक्शा सही है किन्तु उत्तरी कोने पर उक्त मेढ लटूरलाल के कब्जे में होना पाया गया है।
- उत्तरी कोने पर तार की फेन्सिंग बाबत विवाद होना पाया गया है। इस कोने पर उक्त मेढ की मौके पर चौडाई लगभग तीन मीटर स्थित है जिसके मध्य में लटूरलाल द्वारा तार फेन्सिंग कर रखी है।

6- *प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई –*

- वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कैथून में वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 2.39 हैक्टर की है जिसके पास प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 666 स्थित है। इन दोनों खसरों के बीच वादी की भूमि पर मेढ बनी है जो प्रतिवादीगण की होना अथवा उनके द्वारा बनाई होना सर्वथा असत्य है बल्कि इस पर वादी ने गत 25 सालों से तारबन्दी हो रही है। मृदा अपरदन को रोकने के लिये वादी द्वारा सुरक्षार्थ बनाई गई मेढ व तारबन्दी से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि इससे तो खुद प्रतिवादीगण के खेत की फसल की सुरक्षा होती रही है। प्रतिवादीगण उक्त तारबन्दी को हटाकर मेढ की जमीन पर कब्जा करके वादी को बेदखल करना चाहते है जिसके बारे में मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 2.39 हैक्टर की मेढ पर बनी तारबन्दी को नहीं तोडे, न मेढ हटावे, न ही किसी तरह का अतिक्रमण कर वादी के खेत में खडी फसल को क्षति पहुंचाये।
- प्रतिवादी क्रम–1 के अभिभाषक ने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित मेढ प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजी पर बनी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ही बनाई हुई है। प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से खरीदा था। प्रतिवादीगण के खरीदने के बाद करीब 4–5 महीने पहले ही वादी ने मेढ पर तारबन्दी की है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। विवादित मेढ प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 666 पर बनी है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का दावा निरस्त फरमाया जाकर तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित खेतों का नाप करवाकर वादी द्वारा की गई तारबन्दी को हटादावें।

7- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण मे कायम की गई

सहायक कलक्टर
न्यायालय कोटा

तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) *आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 667 वादी के खाते में दर्ज है जिस पर वादी काबिज काश्त है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- कथन के समर्थन में वादी द्वारा विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी संवत 2061–2064 पेश की गई है।
- विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 667 वादी के खाते दर्ज होने तथा खसरा गिरदावरी उक्त आराजी पर काबिज काश्त होने के कथन की पुष्टि करती है।
- अतः वादी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(2) *आया वादी के पडोस में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 666 स्थित है। खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य कांटेदार तारों की 25 वर्ष पूर्व से बाउण्ड्री हो रही है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- मुताबिक नजरी नक्शा वादी के खसरा नम्बर 667 के पास खसरा नम्बर 666 स्थित है।
- पैमाईस रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 666 व 667 के बीच बनी मेढ पर तार की फेन्सिंग होना अवगत कराया गया है किन्तु यह फेन्सिंग कब से हो रही है, इस बात की पुष्टि में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है।
- अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(3) *आया प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य स्थित पुरानी तारबन्दी हटाने की कोशिश की, जो गैरकानूनी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- तारबन्दी हटाये जाने संबंधी किसी कार्यवाही बाबत वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।
- अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(4) *आया प्रतिवादीगण को उपरोक्त तारबन्दी को न तोडने, मेड न हटाने, न किसी तरह का अतिक्रमण कर खेत में प्रवेश करने बाबत निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- प्रकरण में न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में करवाई गई पैमाईस की रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि
- उक्त मेड का उत्तरी बिन्दु खसरा संख्या 667 के खातेदार लटूरलाल वल्द जगन्नाथ के कब्जे में लगभग 3 मीटर अधिक कब्जे में होना पाई गई है, जिस पर लटूरलाल ने खम्बे गाडकर फेन्सिंग कर रखी है। उक्त फेन्सिंग खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य मेड के मध्य में होना पाया गया है।
- उक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 667 को 3 मीटर अधिक बढाकर मेड बना कर तारबन्दी कर रखी थी। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 666 का क्रय किये जाने के बाद उत्तरी कोने से उनकी क्रयशुदा आराजी कम प्रतीत होने पर उनके द्वारा मेढ पर बनी तारबन्दी को हटाने का प्रयास किया गया।
- इस प्रकार विवादित खसरा नम्बर 666 के उत्तरी कोने की 3 मीटर आराजी वादी के कब्जे में होने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(5) *आया विवादित मेड प्रतिवादीगण के खाते की है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ही बनाई गई है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।
- यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोइ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया फलस्वरूप प्रकरण के विधिसंगत निस्तारण हेतु न्यायालय स्तर पर सम्बन्धित तहसीलदार से विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 666 व 667 की पैमाईश रिपोर्ट चाही गई।

- स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 666 क्रय किया गया है जबकि मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट खसरा नम्बर 666 व 667 के मध्य मेढ होना पाया गया है।
- इससे स्पष्ट है कि विवादित मेड प्रतिवादीगण द्वारा नहीं बनाई गई क्योंकि वादी तो पहले से ही अपने खसरा नम्बर 667 पर काबिज काश्त था, तो मेढ भी उसी के द्वारा बनाई होना परिलक्षित होता है।
- पैमाईश रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने खसरा नम्बर 666 के उत्तरी हिस्से पर 3 मीटर अधिक लेते हुये मेढ बनाई है जिसके अनुसार यह मेढ प्रतिवादी के खाते की आराजी पर बनी होना प्रकट हो रहा है।
- अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(6) *आया प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से क्रय किया है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।
- प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम की मद संख्या–2 में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 666 का एक हिस्सा मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल से खरीद किया है।
- वादी की ओर से पेश जवाब काउण्टर क्लेम की अन्तिम मद संख्या–7 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी द्वारा 4–5 माह पूर्व ही खसरा नम्बर 666 की भूमि मोहनलाल से खरीद की है।
- इस प्रकार प्रतिवादीगण के कथन की, जवाब काउण्टर क्लेम से पुष्टि होने के कारण यह तनकी प्रतिादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(7) *आया विवादग्रस्त आराजी पैमाइश दोनों पक्षों के समक्ष करवाने से विवाद का समाधान हो सकता है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।
- प्रस्तुत प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित मेढ खसरा नम्बर 667 पर तथा प्रतिवादीगण ने विवादित मेड खसरा नम्बर 666 पर बनी होने का उल्लेख किया है।
- प्रकरण में पेश विवादित आराजी के नजरी नक्शा की फोटोप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 666 व 667 एक दूसरे से सटवां है।
- ऐसी स्थिति में विवादित खसरा नम्बरान की नाप करवाये जाने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना संभव है।
- अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(8) *सहायता ?*

- वादी द्वारा विवादित मेढ को अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 667 पर बनी होने के आधार पर इस पर लगाई गई तारबन्दी को प्रतिवादीगण द्वारा हटाने का प्रयास किये जाने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की सहायता चाही गई है।
- प्रतिवादीगण द्वारा विवादित मेढ को अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 666 पर बनी होने के आधार पर वादी द्वारा की गई तारबन्दी को अवैध बताकर जर्ये काउण्टर क्लेम विवादित आराजीयात की नाप करवाई जाकर तारबन्दी को हटवाये जाने की सहायता चाही गई है।

8- उपरोक्तानुसार प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त तनकीयात के विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि -- ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 667 तथा प्रतिवादीगण द्वारा क्रय किये जाने के उपरान्त उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 666 स्थित है। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर 666 व 667 दो भिन्न खातेदारों की आराजी होने से इन खसरा नम्बरान के बीच मेढ बनी है। विवाद की स्थिति होने पर विवादित खसरा नम्बरान की पैमाईस रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादी द्वारा खसरा नम्बर 666 की उत्तरी भाग में 3 मीटर के अधिक हिस्से पर मेढ बना रखी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त मेढ प्रतिवादीगण के खाते की आराजी पर बनी है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

अतः हल्का पटवारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार दोनों विवादित खसरा नम्बरान के मध्य बनी मेढ पर वादी का, प्रतिवादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 666 के उत्तरी कोने पर 3 मीटर अधिक पर कब्जा पाया गया है। फलस्वरूप मुताबिक वादी का प्रतिवादी की आराजी पर कब्जा होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 666 व 667 के खातेदारान की उपस्थिति में पुनः पैमाईस की जाकर वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व अभिलेख में उनके खाते दर्ज आराजी संभलाई जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

9- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.10.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

10.10.22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

उनवान :–

लटूरलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति राठौर, निवासी कैथून, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र कन्हैयालाल
2. बसन्ती बाई पत्नी लक्ष्मीचन्द
3. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
4. गुलाबचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
   निवासीगण पुराने बस स्टेण्ड के सामने, कैथून, जिला कोटा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 564 / 09
निर्णय दिनांक : 10-10-2022

GCMS id : 2009 / 00003

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा तथा प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी अभिभाषक श्री तेजमल जैन की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 10–10–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर मुताबिक वादी का प्रतिवादी की आराजी पर कब्जा होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 666 व 667 के खातेदारान की उपस्थिति में पुनः पैमाईस की जाकर वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व अभिलेख में उनके खाते दर्ज आराजी संभलाई जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 10 अक्टूबर, 2022 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

10.10.22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शा के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

10.10.22
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा